पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 07.11.2024

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय लखनऊ द्वारा अपराधियों पर नियंत्रण एवं अपराध के रोकथाम हेतु रात्रि गश्त और जोनल चेकिंग को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु जारी किए गए निर्देश-

मुख्य बिंदु:

- 01 अपर पुलिस उपायुक्त (ADCP) ऑपरेशनल कमांडर और 02 सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) सहायक ऑपरेशनल कमाण्डर के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। वे जोनल चेकिंग करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सूचना देंगे।
- रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जोनल चेकिंग।
- पुलिस कर्मियों की तत्परता और रिस्पांस टाइम की होगी जांच, सुरक्षा उपकरणों का भी किया जायेगा निरीक्षण ।
- पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित व संदिग्ध व्यक्तियों और पीआरवी की गश्त पर विशेष ध्यान ।
- थानों पर बिना रिकॉर्ड के मौजूद व्यक्तियों को चेकिंग रजिस्टर में दर्ज कर, दी जाएगी रिपोर्ट ।

लखनऊ में अपराधों पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेंद्र कुमार सेंगर द्वारा रात्रि गश्त और जोनल चेकिंग को सशक्त बनाने के निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार, हर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक एक अपर पुलिस उपायुक्त (ADCP) ऑपरेशनल कमांडर के रूप में तैनात होंगे, जिनके साथ दो सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) सहायक ऑपरेशनल कमांडर की भूमिका में रहेंगे। ये अधिकारी जोनल चेकिंग के साथ-साथ क्षेत्र में किसी अप्रिय घटना की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करेंगे।

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ द्वारा जारी इन निर्देशों के तहत, ऑपरेशनल कमांडर और सहायक ऑपरेशनल कमांडर, रात्रि अधिकारियों और अतिरिक्त निरीक्षकों के संपर्क में रहेंगे और उनकी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। रात के समय खुली रहने वाली दुकानों, ढाबों और चाय स्टालों पर पुलिस उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी ताकि असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके अलावा, पीआरवी और संदिग्ध व्यक्तियों की गश्त व चेकिंग को भी सख्त किया जाएगा।

प्रत्येक शनिवार को पुलिस कर्मियों की तत्परता और रिस्पांस टाइम को जांचने के लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा। इसमें पुलिस कर्मियों की तैयारी, उनके पास उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों जैसे हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, और बॉडी वार्न कैमरा का निरीक्षण भी शामिल होगा। किसी भी अप्रिय घटना पर पुलिस के त्वरित प्रतिक्रिया के लिए यह तैयारी जांची जाएगी।

इसके अलावा, चेकिंग के दौरान थानों पर बिना दाखिला/बिना अभिलेखीकरण के पाए गए व्यक्तियों को चेकिंग रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेंद्र कुमार सेंगर द्वारा जारी इन निर्देशों का उद्देश्य शहर में रात के समय की सुरक्षा बढ़ाना और पुलिस कर्मियों की तत्परता को बनाए रखना है, ताकि राजधानी लखनऊ को अपराध मुक्त और सुरक्षित शहर बनाया जा सके।